

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—:

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-38 व्यक्तियों को अंतर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. नानबाबू पुत्र मुन्ना लाल नि० लोनियन पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-273/20, 02. पवन पुत्र बाबू नि० लोनियन पुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-274/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अमर लाल पुत्र स्व० लाल बहादुर नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-241/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राज कुमार पुत्र बेचू नि० गौरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-279/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबंगज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. स्वामी नाथ पुत्र मुनेश्वर नि० नरायनपुर थाना तरबंगज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-287/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भोले पुत्र बालक राम नि० दत्त नगर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-391/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कौड़िया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. जगमोहन चौहान पुत्र अशर्फी लाल नि० माधव पुरवा मौजा वनगांव थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-168/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. सूरज कुमार सोनी पुत्र जवाहर लाल सोनी नि० नरेन्द्र नगर झिलाही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-200/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राम अजोरे पुत्र रामफेर नि० केशवनगर ग्रन्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-353/20, 02. राम जनम पुत्र लक्ष्मी राम राजभर नि० बगहवा वासुदेवपुर ग्रन्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 16 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 354/20, 03.राकेश पुत्र जवाहिर नि०

वडेरिया बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-355/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मीरा देवी पत्नी मुन्नू नि0 भरहू भट्टा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-338/20, 02. अम्बिका पुत्र घुरहू नि0 नारीबाग थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-339/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामअक्षयवर सोनकर पुत्र मंगल प्रसाद नि0 पम्पापुरवा मधवा नगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-172/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

11. थाना को0 देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम उजागर पुत्र धनीराम सोनकर नि0 खरहरिया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 388/20, 02. सविता पत्नी स्व0 लल्लू नि0 ललहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-389/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

12. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ईश्वर दीक्षित पुत्र राजवंशी दीक्षित नि0 मुराइन पुरवा सेल्हरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 223/20, 02. फूल कुमार दीक्षित पुत्र मगन बिहारी दीक्षित नि0 भटपुरवा मौजा देवापसिया थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 226/20, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

लापरवाही पूर्वक कार चलाकर एक्सीडेन्ट करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने लापरवाही पूर्वक कार चलाकर एक्सीडेन्ट करने के आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अमिरेन्द्र प्रताप नि0 चन्द्रभानपुर थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-334/20, धारा 337.338.279.304ए भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 11.09.2020 को लापरवाही पूर्वक कार चलाकर साईकिल में टक्कर मार दिया था। जिससे वादी ओमप्रकाश वर्मा पुत्र कन्हैयालाल वर्मा नि0 हरनाटायर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के भाई मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें मनकापुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को झिलाही बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मनोज कुमार पुत्र रामलाल नि0 अग्गर पुरवा मौजा अमदही थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-201/20, धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 300 अल्प्राजोलम टेबलेट ।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 14.09.2020 को थाना उमरीबेगमगंज के उ0नि0 रूदलबहादुर सिंह मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को पकवानगांव के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 300 अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 रूदल बहादुर सिंह ।
02. का0 ओमप्रकाश चौरासिया ।

